प्रशासनिक अनुभाग जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 153/2020, दिनांक–20.07.2020

आदेश

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्भल के ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र सं0– 3051/रीडर/कोविड–19 /सूचना/2020–21 दिनांकित–12.07.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी को दिनांक–22.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहना दर्शाया गया था, जिसके आधार पर जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी पूर्व प्रशासनिक आदेश सं0–150/2020, दिनांकित–16.07.2020 के अनुसार दिनांक–22.07.2020 तक बन्द है। पुनः दिनांक–16.07.2020 को जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्भल के ई–मेल के माध्यम से सायं 07.22 बजे प्राप्त पत्र सं0–3060/रीडर/कोविड–19/सूचना/2020–21 दिनांकित–16.07.2020 के अनुसार श्री शिशुपाल सिंह पुत्र श्री टुंडे सिंह, आयु 65 वर्ष, निवासी म0नं0 41, मयूर बिहार, आवास विकास फेज 2 (जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत) का सैम्पल दिनांक–13.07.2020 को लिया गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक–14.07.2020 को कोरोना पॉजिटिव आने की प्राप्त हुई। उपरोक्त धनात्मक रोगी श्री शिशुपाल सिंह की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के आधार पर आख्या दी गयी है कि शासनादेश सं0–1324/सेक–पॉच–5–2020, दिनांक 23 जून 2020 के अनुसार अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलैक्शन की तिथि से 14 दिन तक, यनि दिनांक–26.07.2020 तक जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी कन्टेनमेन्ट जोन में बना रहेगा। उपरोक्त पत्र के साथ जिलाधिकारी, सम्भल को सम्बोधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल के उपरोक्त आशय के पत्र दिनांकित–16.07.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है।

अतः जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से प्राप्त उपरोक्त पत्र सं0–3060 दिनांकित–16.07.2020 के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के पैरा सं0–14 में दिए गए निर्देशानुसार, जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी दिनांक–26.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने के कारण बन्द रहेगा तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के रिमाण्ड एवं बेल के मामलों से संबंधित कार्य उसी प्रकार किया जायेगा, जैसे कि अवकाश के दिनों में किया जाता है।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

(हस्ताक्षर)

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी, (सम्भल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसियेशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

(हस्ताक्षर)

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।